अभिषेक कुमार सिंह
एवं
दिलीप कुमार महतो

...नि फारम सं० 562

आदेश पत्रक

देखें अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

...पत्रक सं० .... तक जिला धनबाद

...वाद संख्या .... 505/2017 .... धारा 144 सी०आर०पी०सी०

...	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अनुक्रम
23-3-17	द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, धनसार अ.प्रा.सं. 06/17 दिनांक-23-3-2017 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षों के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। कार्रवाई पर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 7.4.17 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा-पतराकुल्ही, मौजा नं0-46, खाता नं0-64, खेसरा नं0-143, रकबा-35 डी0, 230 रकबा-26 डी0, 239 रकबा-14 डी0, 242 रकबा-22 डी0 में से 20 डी0, 734 रकबा-58 डी0, 738 रकबा-9 डी0 सभी प्लोट का कुल रकबा 1 एकड़ 62 डी0 चौहद्दी-उत्तर-पुरामन लाल, दक्षिण-भिखारी लाल, पूरब-पुरामन लाल, पश्चिम-महादेव लाल। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 23/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद (हस्ताक्षर) 23/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।	निर्गत 27/3/17
28.4		

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 17:22:18 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner